

02/03/25 अधिवक्ता अपील नं. 300/25 प्रकरण का अवलोकन
से यह प्रकट होता है कि उक्त अपील अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा जर्जिन व अन्तर्गत आदेशों नियम
10 सी.पी.सी. धारित क्रिये जाने के विरुद्ध हाया
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अनूतन
ऐसे आदेश के विरुद्ध माननीय राष्ट्रपति के
समक्ष निगरानी क्रिये जाने का प्रावधान है। ऐसी
स्थिति में उक्त ऐसे आदेश के विरुद्ध अनूतन
पौषणीय नहीं है। लिहाजा उक्त अपील पौषणीय
नहीं होने से धारित की जाती है। फावली
कैसल सुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व
रुफ्तार हो।

राजस्थान उपाय प्रशासक
पानी